कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email- Nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax-2767611

पत्रांकः– 1512 /FP/UK/OTHERS/21599/2016 दिनाँकः देहरादून 22 दिसम्बर, 2021

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय , 25–सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– जनपद नैनीताल के अन्तर्गत शहीद मोहननाथ गोस्वामी मेमोरियल, मिनी स्टेडियम, लालकुआँ के निर्माण कार्य हेतु 4.9962 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग को हस्तान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः–भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मत्रांलय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक–8बी./यू.सी.पी./09/60/2021/एफ0सी0/94 दिनाँक–22.04.2021।

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित **EDS** दिनांक 22–04–2021 के सम्बन्ध में वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल) के पत्रांक 804/12–1 दिनांक 11.12.2021 के द्वारा प्रेषित बिन्दुवार सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है :–

क.सं.	आपत्ति	प्रतिउत्तर
1	राज्य सरकार से अनुरोध है कि उनके द्वारा Mini Stadium के निर्माण हेतु Standard design की प्रति उपलब्ध करायी जाये क्योंकि Open ground for sports activities हेतु 4.60 है0 क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है जो कि अत्यधिक प्रतीत होता है।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि युवा कल्याण विभाग द्वारा प्रतिवर्ष 10–11 खेल विधाओं में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। अतः प्रस्तावित मिनी स्टेडियम में एथलेटिक्स ट्रेक व अन्य खेल विधाओं के आयोजन व प्रशिक्षण हेतु सुविधाऐं विकसित करने के उद्देश्य से यह प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि राज्य में खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित स्टेडियमों का निर्माण कार्य कर रही कार्यदायी संस्था उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम खेल इकाई (निर्माण शाखा) देहरादून के द्वारा कुल प्रस्तावित 4.99 है0 क्षेत्र का सदुपयोग करते हुए मानकों के अनुरूप साईट प्लान तैयार किया गया है। उक्त साइट प्लान को ऑनलाईन Part-1, Additional Information में अपलोड किया गया है। area calculation प्रस्ताव प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रेषित किया गया है।
2	प्रस्तावित क्षेत्र के समीप ही पर्याप्त मात्रा में Open Ground उपलब्ध है। उसमें भी Mini Stadium का निर्माण किया जा सकता है। राज्य सरकार इस सम्बन्ध में विस्तृत टीप प्रस्तुत करें।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि वन विभाग, राजस्व विभाग एंव प्रस्तावक विभाग के प्रतिनिधियों द्वारा दिनांक 29.07.2021 को प्रस्तावित स्थल का संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि उक्त प्रस्तावित मिनी स्टेडियम के उत्तर में आई0टी0बी0पी0 परिसर (वन भूमि हस्तान्तरण), पश्चिम में इण्यिन ऑयल डिपो तथा सैन्चुरी पल्प एण्ड पेपर की आवासीय कॉलोनी (लीज पर आंवटित वन भूमि) एंव दक्षिण में वन विकास निगम उत्तराखण्ड को प्रकाष्ठ डिपो भण्डारण हेतु लीज पर आवंटित वन भूमि तथा पूरब में आई0टी0बी0–बिन्दुखत्ता सम्पर्क मार्ग स्थित है। अतः उक्त संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि मिनी स्टेडियम के निर्माण हेतु प्रस्तावित वन भूमि के आस–पास विकल्प के रूप में अन्य कोई खाली भूमि उपलब्ध नहीं है। उक्त संयुक्त

		निरीक्षण रिपोर्ट ऑनलाईन Part-1, Additional Information में अपलोड की गयी है, जो कि प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है।
3	The proposal is for non site specific activities and entire area falls in reserve forest area with enumeration of 365 trees involve in the proposal. State Govt. is requested to select some other land other than reserve forest and having less no. of trees for the purpose.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि परियोजना के निर्माण हेतु अन्य कोई सिविल, सिविल–सोयम एंव वन पंचायत भूमि उपलब्ध नहीं है तथा सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा भी परियोजना हेतु अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने का प्रमाण–पत्र दिया गया है जिसे ऑनलाईन Part-1, Additional Information में अपलोड किया गया है। प्रस्तावित वन भूमि में 365 वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा निर्माण कार्य के दौरान न्यूनतम वृक्षों का पातन किये जाने का प्रयास किया जायेगा। न्यूनतम वृक्षों का पातन किये जाने का प्रमाण–पत्र ऑनलाईन Part-1, Additional Information में अपलोड किया गया है।
4	It is seen that habitation exits at three side of proposed area. Dfo may verify whether any kind of encroachment is there.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि उप प्रभागीय वनाधिकारी, गौला द्वारा चयनित स्थल के निरीक्षण में यह पाया गया है कि चयनित स्थल के उत्तर में सेंचुरी पल्प एवं पेपर मिल में कार्यरत कर्मचारियों के आवास हैं। सेंचुरी पल्प एवं पेपर मिल, लालकुआँ को वन विभाग द्वारा उक्त भूमि 30 वर्षों हेतु लीज पर दिया गया है। चयनित भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं हुआ है।
5	Details of alternative not provided at Para D in part-I. The detail and comments of State Govt. are requested to be furnished to be guideline in this regard which is as follows: "Diversion of forest land for non site specific projects: A number of proposal for diversion of forest land for non site specific project like, Industries, construction of residential colonies, institutes, disposal of fly ash, rehabilitation, of displaced persons, etc. received by the central Govt. Attention is drawn to item 1(iv) and 8 of the Form 'A' in which the proposal is to be submitted by the state Govt, in these columns, justification for locating the project in the forest area. Giving details of the alternatives examined and reason for there rejection has to be furnished. Normally, there should not be any justification for locating non site specific projects on forest land. Therefore, the State Govt. should scrutinize the alternatives in more details and must give complete justification establishing its inescapability for locating the project in forest area.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि मिनी स्टेडियम के निर्माण हेतु सिविल, सिविल–सोयम एंव वन पंचायत भूमि तथा अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न हो पाने के कारण ही प्रस्तावित वन भूमि का चयन किया गया। सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा भी परियोजना हेतु अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने का प्रमाण–पत्र दिया गया है जिसे ऑनलाईन Part-1, Additional Information में अपलोड किया गया है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि मा0 मुख्यमंत्री द्वारा उक्त मिनी स्टेडियम के निर्माण किये जाने की घोषणा शहीद मोहन नाथ गोस्वामी, निवासी–लालकुऑ के नाम पर की गयी है। शहीद मोहन नाथ गोस्वामी के परिजनों तथा क्षेत्रीय जनता द्वारा लालकुऑ के समीप ही उक्त मिनी स्टेडियम के निर्माण किये जाने हेतु अनुरोध किया गया था। जिसे संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। अतः उपरोक्त कारणों से ही मिनी स्टेडियम के निर्माण हेतु उक्त प्रस्तावित वन भूमि चयनित की गयी है।

6	Sub division level committee (SDLC) meeting proceeding of Nainital and Haldwani found uploaded but complete area marked in Haldwani forest division as per Part II. State Govt. may clarify.	प्रस्तावित स्थल जनपद नैनीताल के अन्तर्गत होने के कारण जिलाधिकारी, नैनीताल की वन अधिकार अधिनियम–2006 से सम्बन्धित जिला स्तरीय कमेटी की बैठक की गयी है। साथ ही प्रस्तावित स्थल उप जिलाधिकारी, हल्द्वानी के क्षेत्रान्तर्गत होने के कारण उप जिलाधिकारी, हल्द्वानी की वन अधिकार अधिनियम–2006 से सम्बन्धित खण्ड स्तरीय समिति की बैठक की गयी है। वन अधिकार अधिनियम–2006 से सम्बन्धित उक्त प्रमाण–पत्रों को ऑनलाईन Part-1, Para K(1)(a) में अपलोड कर दिया गया है।
7	FRA certificate of DM is dated 10.08.2016 however SDLC meeting of Haldwani held on 11.06.2019. State Govt. may clarify this and provide the correct information document.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि सम्बन्धित जिलाधिकारी की वन अधिकार अधिनियम 2006 से सम्बन्धित जिला स्तरीय कमेटी की बैठक 17.07.2021 को पुनः आयोजित करायी गयी तथा वन अधिकार से सम्बन्धित प्रमाण पत्र भी पुनः निर्गत किया गया है। वन अधिकार अधिनियम 2006 से सम्बन्धित संशोधित प्रमाण–पत्रों को ऑनलाईन Part-1, Para K(1)(a) में अपलोड कर दिया गया है।
8	As per DSS analysis. 8 ha area found in MDF. DFO may inspect the area and submit inspection report or a certificate mentioning if 1000 trees per hectare can be accommodated or not. If not, than the plantation scheme as per guidlines dt. 8.11.2017 may be submitted, DFO may also submit the feasibility of plantation in proposed steep slope of CA area.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया गया। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र वनाच्छादित नहीं है। जिसका घनत्व 0.40 से कम है तथा उक्त क्षेत्र में 1000 पौंध प्रति है0 वृक्षारोपण किया जा सकता है। प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग की निरीक्षण आख्या तथा प्रमाण–पत्र प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है तथा ऑनलाईन Part-1, Additional information details में अपलोड कर दिया गया है। प्रमाण–पत्र संलग्न है।
9	As per detail at para 8 (ii) proposed land is part of Shivalik Elephent Reserve. Dfo may verify whether any approval applied or taken from CWLF/ NBWL.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि मुख्य वन जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड देहरादून से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र को ऑनलाईन Part-1, Additional information details में अपलोड कर दिया गया है। मख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड का अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है।
10	Details of 356 trees uploaded in Part II in para-4 wherein 171 trees shown between 0 to 30 cm however details 356 trees shown in enumeration list wherein no tree falls in 0 to 30 cm. Detail of other class also do not match. State Govt. may clarify this discrepancy and submit correct information in this regard.	परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित 4.9962 हे0 वन भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों के सम्बन्ध में किये गये संयुक्त स्थलीय निरीक्षण तथा गणना के अनुसार कुल विद्यमान 454 विभिन्न प्रजाति के वृक्षों में से प्रभावित वृक्षों की संख्या 356 पायी गयी। प्रभावित होने वाले वृक्षों का विस्तृत विवरण प्रपत्र–15 तदानुसार संशोधित किया गया है, जो कि प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है।
11	CA site suitability certificate and aerial distance certificate not found uploaded. Which is required to be submitted uploaded.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण उपयुक्तता प्रमाण–पत्र तथा प्रस्तावित स्थल की समीपस्थ वन्य जीव अभ्यारण्य / राष्ट्रीय पार्क से हवाई दूरी का प्रमाण–पत्र को ऑनलाईन Part-1, Additional Information में अपलोड कर दिया गया है।
12	Land schedule not countersigned by DFO. State Govt. may submitted uploaded the land schedule duly countersigned by concerned DFO.	प्रस्तावित वन भूमि का लैण्ड शैड्यूल सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित है तथा प्रस्ताव मे प्रपत्र–11, पृष्ठ सं0 22 के रूप में संलग्न है एंव ऑनलाईन Part-1, Additional Information में अपलोड किया गया है।

13	Area mentioned in DFO's SIR is 3.90 ha. Further comments against para 5.3 not submitted. State Govt. may submitted the SIR of DFO mentioning the correct area and providing comments against para 5.3 of SIR.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा संशोधित Site inspection report की प्रति प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है।
14	DFO has not submitted his comments in SIR as the area falls in Shivalik Elephant Revise. DFO may also provide his comments in the SIR.	संशोधित Site inspection report में प्रभागीय वनाधिकारी की टिप्पणी सम्मिलित की गई है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रस्ताव विभाग के अनुरोध के दृष्टिगत प्रकरण पर वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(मंयक शेखर झा)
उप वन संरक्षक,

संख्या /FP/UK/OTHERS/21599/2016 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवकश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल) के पत्रांक 804/12–1 दिनांक 11.12.2021 के कम में।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।

(मंयक शेखर झा)
उप वन संरक्षक

Rohit PD Backup